अध्याय-4
पंजीकरण और रोजगार सृजन

अध्याय - 4

पंजीकरण और रोजगार सृजन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) सभी ग्रामीण परिवारों के लिए उपलब्ध है और पंजीकृत परिवारों को वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करता है। योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए पात्र बनने हेतु, पंजीकरण के लिए आवेदन एक सादे कागज पर स्थानीय ग्राम पंचायत (ग्रा पं) को दिया जा सकता है, जिसमें उन वयस्क सदस्यों के नाम दिए जा सकते हैं जो अकुशल कार्य करने के इच्छुक हैं अथवा कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मौखिक अनुरोध कर सकता है। ग्रा पं इस आवेदन/अनुरोध की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर ऐसे प्रत्येक परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी।

लेखापरीक्षा द्वारा पंजीकरण और रोजगार सृजन में विभिन्न कमियाँ पायी गयीं जिन्हें आगामी प्रस्तरों में रेखांकित किया गया है:

4.1 पंजीकरण और जॉब कार्ड जारी करना

जॉब कार्ड (जॉ का) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों की हकदारी को अभिलिखित करता है। यह कानूनी रूप से पंजीकृत परिवारों को काम के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और श्रमिकों को धोखाधड़ी से बचाता है। जॉब कार्ड जारी करने की मुख्य प्रक्रिया नीचे **चार्ट-4.1** में दी गई है:

चार्ट-4.1: जॉब कार्ड जारी करने की प्रक्रिया

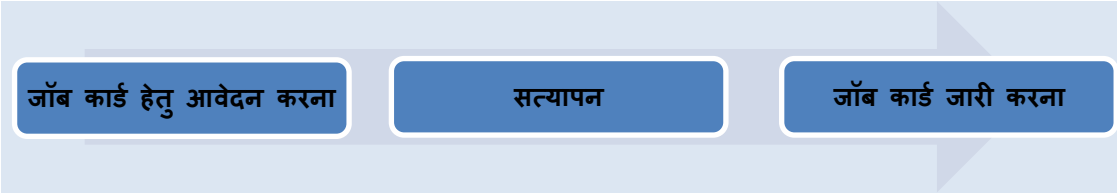

स्रोत: परिचालन दिशानिर्देश 2013।

4.1.1 घर-घर सर्वेक्षण

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 3.1.1 (ii) के अनुसार प्रत्येक ग्रा पं को वार्षिक घर-घर सर्वेक्षण करना चाहिए जिसमें उन पात्र परिवारों की पहचान की जाये जिनकी अनदेखी की गई हो और जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहते हों। यह महत्वपूर्ण है कि यह सर्वेक्षण वर्ष के ऐसे समय में आयोजित किया जाये जब निवासी रोजगार हेतु अथवा अन्य कारणों से अन्य क्षेत्रों में न गये हों। यह कार्यक्रम अधिकारी

(का अ) का कर्तव्य था कि वह इस सर्वेक्षण के लिए एक कार्यक्रम बनाए और यह सुनिश्चित करे कि उसके प्रभार में सभी ग्रा पं ने यह सर्वेक्षण किया है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित ग्रा पं में 2019-24 की अवधि के दौरान कोई भी घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया। नमूना जाँच किए गए विकास खण्डों के का अ द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया था।

पंजीकरण तथा जॉ का जारी करने में पायी गयी कमियों और मुद्दों पर चर्चा आगामी ***प्रस्तर-4.1.2*** में की गई है।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान सचिव, ग्रा वि वि द्वारा आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को हल करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.1.2 जॉब कार्ड जारी एवं अद्यतन करने में कमियाँ

लेखापरीक्षा द्वारा जॉ का के जारी करने एवं अद्यतनीकरण में विभिन्न कमियाँ पायी गयी, जिनका विवरण नीचे **तालिका-4.1** में दर्शाया गया है:

तालिका-4.1: जॉ का के जारी एवं अद्यतन करने में कमियाँ

क्र. सं.	परिचालन दिशानिर्देश/परिपत्र के प्रावधान	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 3.1.2 (i) में उल्लेखित है कि अकुशल रोजगार के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले परिवार जॉब कार्ड जारी करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। जॉ का के लिए आवेदन स्थानीय ग्रा पं को सादे कागज पर दिया जा सकता है। प्रस्तर 3.1.5 (i) में यह उल्लेखित है कि यदि कोई परिवार पंजीकरण के लिए पात्र पाया जाता है, तो ग्रा पं आवेदन प्राप्त होने के एक पखवाड़े के अंदर परिवार को एक जॉ का जारी करेगी। इसके अतिरिक्त, प्रस्तर 10.3.5 में यह उल्लेखित है कि ग्रा पं स्तर पर जॉ का आवेदन पंजिका का रख-रखाव किया जायेगा।	किसी भी नमूना जाँच ग्रा पं में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि जॉ का के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी वास्तव में पंजीकृत हुये या पात्र परिवारों को 15 दिनों के भीतर जॉ का जारी किए गये, जैसा कि मनरेगा के अंतर्गत अपेक्षित था।
2.	परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 3.1.5 (xii) में उल्लेखित है कि जॉ का में अंकित प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणित किया जाना चाहिए। रोजगार और मजदूरी से संबंधित प्रविष्टियों को समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में, घटना की तिथि से सात दिनों के	चयनित लाभार्थियों के जॉ का के विश्लेषण में कई विसंगतियां उजागर हुई। 200 जॉ का में से 78 जॉ का (39 *प्रतिशत*) बिना फोटोग्राफ के पाये गए, तथा 50 जॉ का (25 *प्रतिशत*) में काम किए जाने की तिथि के बारे में कोई अद्यतन जानकारी अंकित नहीं थी।

क्र. सं.	परिचालन दिशानिर्देश/परिपत्र के प्रावधान	लेखापरीक्षा टिप्पणी
	पश्चात न हो। जॉ का में प्रविष्टियां न होना या प्रविष्टियों में देरी को अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत उल्लंघन और दंडनीय माना जाएगा।	इसके अतिरिक्त, 133 जॉ का (67 *प्रतिशत*) में ऐसी प्रविष्टियां थीं जो या तो प्रमाणित नहीं थीं अथवा केवल आंशिक रूप से प्रमाणित थीं। इसके अतिरिक्त, 2019 से 2024 की अवधि के लिए किसी भी नमूना जाँच किए गए जॉ का में भुगतान की तिथि दर्ज नहीं की गई थी।

सचिव, ग्रा वि वि द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान आश्वासन दिया कि इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.2 रोजगार सृजन

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 1.1 के अनुसार इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना था। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 3.2 (i) में प्रावधान किया गया कि पंजीकृत परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम जॉ का में दर्ज है, अकुशल कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सृजन से संबंधित आँकड़े नीचे **तालिका-4.2** में दिए गए हैं:

तालिका-4.2: 2019-24 के दौरान राज्य में रोजगार सृजन की स्थिति

वर्ष	रोजगार सृजन	
	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या	रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या
		(आँकड़े लाख में)
2019-20	5.04	6.61
2020-21	6.54	9.09
2021-22	5.73	7.92
2022-23	5.01	6.81
2023-24	4.72	6.38
कुल	***27.04***	***36.81***

स्रोत: नरेगासॉफ्ट।

नरेगासॉफ्ट में उपलब्ध रोजगार सृजन से संबंधित सूचना के विश्लेषण में पाया गया कि 2020-21 से 2023-24 की अवधि में राज्य में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या में 30 *प्रतिशत* की उल्लेखनीय गिरावट आयी। 2020-21 के दौरान रोजगार

सृजन में वृद्धि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण हो सकती है, जिसने सरकार द्वारा पोषित रोजगार योजनाओं पर निर्भरता बढ़ा दी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा श्रम बजट अनुमोदन, जिसमें वार्षिक मानव-दिवस लक्ष्य को रेखांकित किया गया था, के पश्चात राज्य द्वारा जिलों को माह-वार लक्ष्य आवंटित किए गए थे। हालाँकि, कम रोजगार सृजन का कारण कार्य निष्पादन हेतु अपर्याप्त निधियों को बताया गया।

विभाग यह सुझाव देते हुए कि योजनाओं को सीमित बजट के अनुरूप पूरा करने के लिए समायोजित किया गया था, 3.43 लाख कार्य (स्वीकृत 12.64 लाख का 28 *प्रतिशत*) शुरू करने में विफल रहा (***अध्याय-5*** का ***प्रस्तर-5.1 संदर्भित***)। लाभार्थी सर्वेक्षण में यह पता चला है कि 200 प्रत्यार्थियों में से 129 को उस समय सूचित किया गया था जब कार्य किया जाना सुनिश्चित हो गया था।

4.2.1 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की प्राप्ति न होना

लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि 2019-24 के दौरान राज्य में 10.35 लाख से 11.84 लाख पंजीकृत परिवारों में से 4.72 लाख से 6.54 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया, जिसमें पंजीकृत परिवारों के आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष औसतन 21 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया। हालाँकि, वास्तव में रोजगार प्राप्त परिवारों की संख्या के आधार पर की गयी गणना में यह आँकड़ा बढ़कर 42 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष हो गया।

इसके अतिरिक्त, 2019-24 की अवधि के दौरान राज्य में कुल पंजीकृत परिवारों में से मात्र एक से चार *प्रतिशत* को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया था। विस्तृत विवरण नीचे **तालिका-4.3** में दिया गया:

तालिका-4.3: 2019-24 के दौरान रोजगार पाने वाले परिवारों का विवरण

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
					(आँकड़े लाख में)
पंजीकृत परिवारों की संख्या	10.93	11.80	11.84	10.45	10.35
परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया	5.04	6.54	5.73	5.01	4.72
रोजगार प्राप्त परिवारों का प्रतिशत	***46***	***55***	***48***	***48***	***46***
सृजित मानव दिवसों की कुल संख्या	206.10	303.60	243.18	206.47	196.92
प्रति परिवार रोजगार के औसत दिन	**19**	**26**	**21**	**20**	**19**
कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त परिवारों की संख्या	0.22	0.48	0.31	0.21	0.15
कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त परिवारों का प्रतिशत	**2**	**4**	**3**	**2**	**1**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट।

चयनित जिलों में 2019-24 के दौरान कुल पंजीकृत परिवारों में से मात्र एक *प्रतिशत* से तीन *प्रतिशत* परिवारों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया। यही स्थिति चयनित विकास खण्डों में भी देखी गयी, जहाँ 2019-24 की अवधि के दौरान कुल पंजीकृत परिवारों में से मात्र एक *प्रतिशत* से तीन *प्रतिशत* परिवारों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया।

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि योजना का प्राथमिक उद्देश्य अर्थात एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करके आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना राज्य द्वारा हासिल नहीं किया गया।

इंगित किए जाने पर, परियोजना समन्वयक, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उन्ही परिवारों को उपलब्ध कराया गया जिनके द्वारा अनुरोध किया गया था।

निम्नलिखित प्रकरण अध्ययनों के आलोक में उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

(अ) चयनित कार्यों के मस्टर रोल (म रो) के विश्लेषण में उपस्थिति दर्ज करने में विसंगतियां पायी गयी, जहाँ सम्पूर्ण माँग अवधि के लिए म रो निर्गत न करने के कारण 86 प्रकरण ***(परिशिष्ट-4.1)*** प्रभावित हुये। म रो जारी किए जाने के दौरान, तिथियों पर पूर्व से ही "x" अंकित होने के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप, जॉ का धारक 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इस प्रकार, ऐसी प्रथाओं के कारण श्रमिक योजना के अधीन मिलने वाले विधि सम्मत रोजगार से वंचित रहे, जो स्पष्ट करता है कि नियमों का पालन सुनिश्चित किए जाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

अध्ययन प्रकरण 1:

म रो संख्या: 2813 (जारी: 28.11.2020, कार्य विवरण: ग्रा पं, *दंदेली में संपर्क मार्ग का निर्माण (कार्य कोड: 3513007075/आर सी/2008050564);* अवधि: 28.11.2020 से 11.12.2020 तक, उद्देशित लाभार्थी: 10 व्यक्तियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु। कुल 14 दिनों की माँग के बावजूद, चार जॉ का धारकों के लिए कुछ तिथियों को[1] "x" के साथ पूर्व-चिह्नित किया गया था, जिसने न्यूनतम 100 दिनों के गारंटीकृत रोजगार प्राप्त करने से रोका।

[1] बलमा देवी (यू टी-13-007-075-001/139) म रो जारी होने से पूर्व प्राप्त रोजगार: शून्य दिन, म रो जारी किया गया: सात दिन (कमी: सात दिन); पूनम देवी (यू टी -13-007-075-001/142) म रो जारी होने से पूर्व प्राप्त रोजगार: शून्य दिन, म रो जारी किया गया: सात दिन (कमी: सात दिन), गीता देवी (यू टी -13-007-075-001/154) म रो जारी होने से पूर्व प्राप्त रोजगार: शून्य दिन, म रो जारी किया गया: 10 दिन (कमी: चार दिन); लक्ष्मी देवी (यू टी -13-007-075-001/136) म रो जारी होने से पूर्व प्राप्त रोजगार: शून्य दिन, म रो जारी किया गया: सात दिन (कमी: सात दिन);

अध्ययन प्रकरण 2:

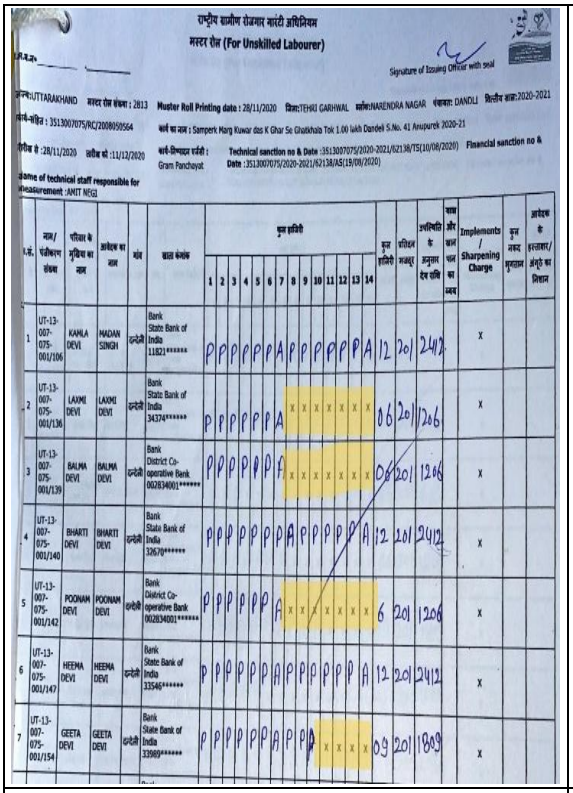

म रो संख्या: 5136 (जारी: 27.02.2023, कार्य विवरण: *ग्रा पं, मटेना में सम्पर्क मार्ग निर्माण (कार्य कोड: 3507009080/एल डी/2008135341);* अवधि: 28.02.2023 से 15.03.2023 तक। इच्छित लाभार्थी: 10 व्यक्तियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु। 14 दिनों के लिए कार्य की माँग के बावजूद, दो जॉ का धारकों[2] के लिए कुछ तिथियों के लिए "x" के साथ पूर्व-चिह्नित किया गया था, जिसने न्यूनतम 100 दिनों के गारंटीकृत रोजगार प्राप्त करने से रोका।

चित्र-4.1: म रो: 2813

चित्र-4.2: म रो: 5136

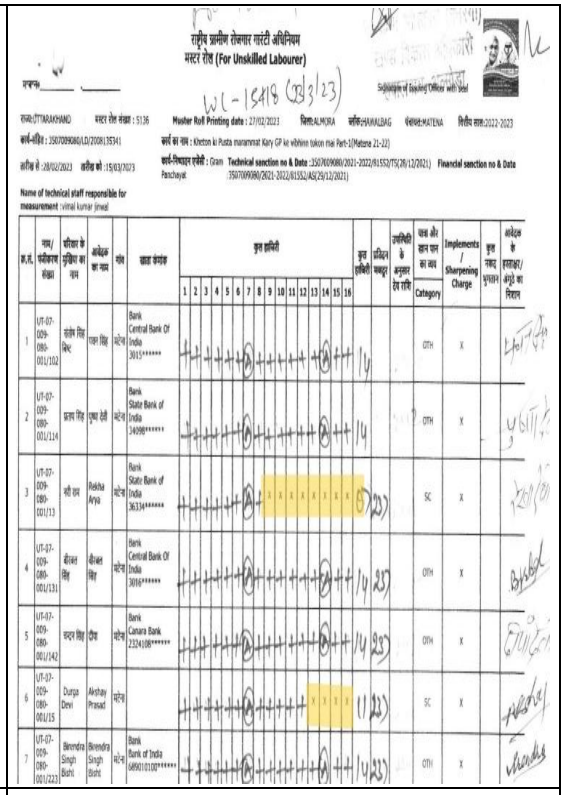

(ब) कार्यों की माँग हेतु प्रस्तुत आवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि कुल 203 श्रमिकों द्वारा रोजगार की माँग की गयी थी, लेकिन संबंधित का अ द्वारा तैयार किए गए मस्टर रोल में उक्त श्रमिकों के नाम शामिल नहीं किए गए। इस तरह, वो रोजगार से वंचित रहे जैसा कि ***अध्याय-3*** के ***प्रस्तर-3.5*** में चर्चा की गयी है।

इन प्रथाओं के कारण जॉ का धारकों द्वारा रोजगार हेतु अनुरोध किए जाने के उपरान्त भी रोजगार के अवसरों से वंचित रखा गया। यह मनरेगा के सिद्धांतों का उल्लंघन है

---

[2] रेखा आर्य (जॉ का नंबर: यू टी-07-009-080-001/13) म रो जारी होने से पूर्व प्राप्त रोजगार: 78 दिन, म रो जारी किया गया: आठ दिन (कमी: छः दिन); अक्षय प्रसाद (जॉ का सं यू टी -07-009-080-001/15) म रो जारी होने से पूर्व प्राप्त रोजगार: शून्य दिन, म रो जारी किया गया: 11 दिन (कमी: तीन दिन)।

और ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त आजीविका सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य को नजर अंदाज करता है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार को इन मुद्दों का समाधान करना चाहिये, ताकि मनरेगा के उद्देश्यों का अनुपालन सुनिश्चित हो एवं लक्षित लाभार्थियों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान सचिव, ग्रा वि वि ने कहा कि यह योजना माँग आधारित है, परंतु कार्य की माँग करने वालों के लिए उपलब्ध रोजगार दिनों की संख्या को अधिकतम करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, म रो जारी करने से पूर्व दिनांकों पर "x" अंकित करने के प्रकरण की जाँच की जायेगी।

4.3 महिलाओं का प्रतिनिधित्व

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 3.4 (x) में उल्लेखित है कि कम से कम एक तिहाई श्रम रोजगार, महिलाओं को प्रदान किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2019-24 के दौरान राज्य में सृजित कुल रोजगार (11.56 करोड़ मानव दिवस) में से महिलाओं का प्रतिनिधित्व 6.48 करोड़ मानव दिवस (56 *प्रतिशत)* था, जैसा कि नीचे **चार्ट-4.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट-4.2: 2019-24 के दौरान उत्पन्न कुल रोजगार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

(करोड़ में)

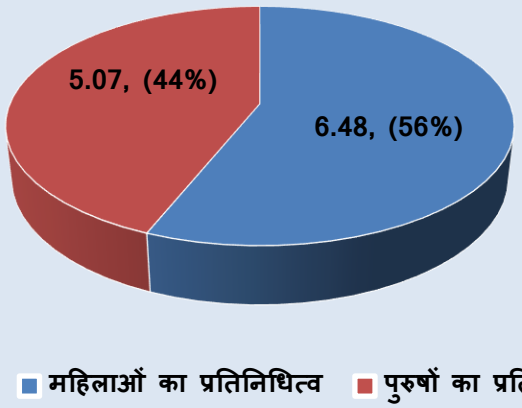

स्रोत: नरेगासॉफ्ट।

नमूना जाँच जिलों में 2019-24 के दौरान यह 53 *प्रतिशत* से 74 *प्रतिशत* के बीच रहा। इसके अतिरिक्त, 2019-24 के दौरान अल्मोड़ा जिले के जाँच किए गए विकास खण्डों में यह 44 *प्रतिशत* से 60 *प्रतिशत* के बीच एवं जिला टिहरी गढ़वाल के जाँच किए गए विकास खण्डों में 62 *प्रतिशत* से 78 *प्रतिशत* के बीच था जो सराहनीय है ***(परिशिष्ट-4.2)।***

4.4 दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया गया रोजगार

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 9.3.9 के अनुसार सभी दिव्यांगजनों और अन्य कमजोर व्यक्तियों के चिन्हीकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सभी गांवों में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का कार्य प्रदान किया जाना चाहिए। समन्वयक (कमजोर समूह) द्वारा विकास खण्ड और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसे कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मासिक बैठक आयोजित की जाएगी। समन्वयक द्वारा मासिक और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट जि प स को प्रस्तुत की जाएगी।

नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि:

- नरेगासॉफ्ट के अनुसार, राज्य में 2019-24 के दौरान 5,230 और 3,434 के मध्य दिव्यांगजन पंजीकृत थे, जिनमें से मात्र 32 *प्रतिशत* से 42 *प्रतिशत* को ही रोजगार प्रदान किया गया ***(परिशिष्ट-4.3)***।
- चयनित जिलों में 16 *प्रतिशत से 48* प्रतिशत के बीच पंजीकृत दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ***(परिशिष्ट 4.3 क)***।
- चयनित विकास खण्डों में उपलब्ध कराए गए रोजगार की प्रतिशतता 5 *प्रतिशत* से 58 *प्रतिशत* के बीच थी ***(परिशिष्ट 4.3 ख)***।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा दिव्यांग एवं अन्य कमजोर व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया। 2019-24 के दौरान रोजगार के लिए अनुरोध करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों का आँकड़ा न तो नरेगासॉफ्ट में दर्ज कियाग गया था और न ही राज्य एवं चयनित जिला, विकास खण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर किसी भी भौतिक दस्तावेज़ द्वारा समर्थित था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा इस अवधि के दौरान काम माँगने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिशतता का पता नहीं लगा सकी। इसके अतिरिक्त, समन्वयक द्वारा दिव्यांग और अन्य कमजोर व्यक्तियों के चिन्हीकरण की प्रगति की समीक्षा किए जाने हेतु विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों के साथ कोई मासिक बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

इस प्रकार, एक विशेष अभियान के अभाव में, अभिलेखों के रख-रखाव में कमी तथा आवश्यक बैठकों का आयोजन करने में विफलता ने लक्षित समूहों के लिए प्रभावी

रोजगार उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न की। परिणामस्वरूप, मनरेगा अधिदेश को पूरा करने में विभाग के प्रयास में कमी रही, जिससे लक्षित लाभार्थी प्रभावित हुए।

सचिव, ग्रा वि वि के द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी, 2025) के दौरान बताया गया कि इस संबंध में विशेष प्रयास किए जाएंगे।

4.5 निष्कर्ष

वर्ष 2019-24 के दौरान किसी भी नमूना जाँच की गयी ग्रा पं में घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इस अवधि के दौरान मात्र 46 *प्रतिशत* से 55 *प्रतिशत* पंजीकृत परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार औसतन 21 दिनों का रोजगार मिला। माँग के बावजूद, परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार नहीं मिल सका; हालाँकि, रोजगार पाने वाले श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सराहनीय था।

4.6 अनुशंसाएँ

1. ***यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी ग्रा पं पंजीकरण के लिए पात्र परिवारों के चिन्हीकरण हेतु अनिवार्य रूप से वार्षिक घर-घर सर्वेक्षण करे। कार्यक्रम अधिकारी (का अ) सर्वेक्षण कार्यक्रम तैयार और निगरानी करे एवं उच्च अधिकारियों को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे।***
2. ***आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं जॉ का को समय पर जारी करने हेतु सभी ग्रा पं में जॉ का आवेदन पंजिका का रख-रखाव किया जाये। प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण एवं रोजगार और मजदूरी के विवरण को समय पर दर्ज करने सहित, जॉ का के उचित रख-रखाव और अद्यतन पर ग्रा पं अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जायें। जॉ का रिकार्डों की आवधिक समीक्षा के लिए एक निरीक्षण तंत्र स्थापित हो।***
3. ***मस्टर रोल (म रो) जारी करने में आने वाली विसंगतियों को दूर किया जायें तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उपस्थिति के दिनों को पूर्व-चिह्नित करना या रोजगार को 100 दिनों तक सीमित करने जैसे कृत्रिम प्रतिबंधों को दूर करते हुये कार्य माँग के अनुसार उपलब्ध हो।***